देश में कोरोना के 1,839 मामले आए

नई दिल्ली, 8 मई (भाषा)।

भारत में सोमवार को कोरोना के 1,839 नए मामले सामने आए जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घट कर 25,178 हो गई। एक दिन पहले यह संख्या 27,212 थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार संक्रमितों की संख्या अब 4.49 करोड़ (4,49,71,469) हो गई है। वहीं, संक्रमण से 11 लोगों की मृत्यु होने से मृतक संख्या बढ़ कर 5,31,692 हो गई है।

मंत्रालय ने बताया कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कुल संक्रमितों का 0.06 फीसद है। कोरोना से ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.76 फीसद दर्ज की गई है। मंत्रालय ने बताया कि बीमारी से ठीक हो चुके लोगों की संख्या बढ़ कर 4,44,14,599 हो गई है जबकि मृत्यु दर 1.18 फीसद है। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से देश में कोरोना रोधी टीके की अब तक 220.66 खुराक दी जा चुकी है।

नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने के दोषी को दस साल कैद

ठाणे (महाराष्ट्र), 8 मई (भाषा)।

महाराष्ट्र के ठाणे जिला में एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की नाबालिग बहन का यौन उत्पीड़न करने और उसे प्रताड़ित करने के जुर्म में दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश वीवी वीरकर ने यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में सुनवाई के दौरान छह मई को यह आदेश पारित किया और दोषी व्यक्ति पर 8,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि पीड़ित को उसकी बहन ने अप्रैल 2018 में अपने घर पर कुछ दिन रहने के लिए बुलाया था। घटना के वक्त पीड़ित 17 साल की थी। पीड़ित की बहन जब काम से घर से बाहर जाती तब उसके पति ने कई बार नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया।

कार्यालय : ग्राम पंचायत गोसड़ी, वि.खं. मुहम्मदपुर–आजमगढ़

अल्पकालीन निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2023–24 में ग्राम पंचायत गोसड़ी, वि.ख. मुहम्मदपुर द्वारा राज्य वित्त आयोग/14वां/15वां केन्द्रीय वित्त आयोग/ग्राम स्वराज/मनरेगा योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि से एस.एल.डब्ल्यू.एम. स्वच्छ भारत मिशन, पौधरोपण, डस्टबिन, सोलर लाइट, इण्टरलाकिंग, नाली, खड़ंजा, पुलिया, हैण्डपम्प, सोख्ता, गड्ढा, डेस्क, बेंच, ग्रीन बोर्ड, दिशासूचक बोर्ड, सुन्दरीकरण, पौधरोपण, प्लम्बरिंग कार्य, सफाई किट, ब्लीचिंग पाउडर, स्ट्रीट लाइट, खेलकूद सामग्री, कोविड–19 कोरोना किट, फागिंग मशीन, सामुदायिक शौचालय, अन्त्येष्टि गृह, अतिरिक्त कक्ष सी0एस0सी0 निर्माण,एनएम सेन्टर, पंचायत भवन कायाकल्प, आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण/मरम्मत, गौशाला निर्माण, भूसा चारा, विद्यालय का कायाकल्प, बाउण्ड्री वाल, पी.वी.सी. पाईप विभिन्न साईज में, मरम्मत सम्बन्धित सामग्री आदि कार्य हेतु सामग्री सामग्री आपूर्ति (ईट प्रथम श्रेणी, इण्टरलाकिंग, ईंट, बालू/मोरम बालू सफेद/बालू महीन, 20 एम.एम./40 एम.एम. डाला गिट्टी, स्टोन ब्लास्ट 20 एम.एम., शौचालय सामग्री, एन. पी. 3 ह्यूम पाईप कालर सहित, हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री, खेल सामग्री, स्टेशनरी साईन बोर्ड, सरिया, सीमेन्ट, स्टोन बोल्डर, पटिया, रिबोर, टाईल्स, पेन्ट पुट्टी, डस्टबिन, सीमेन्टेड बेन्च, एलईडी बल्ब, कूड़ा गाड़ी, सोलर लाईट, पानी की टंकी/एस्बेस्टस सीट, कायाकल्प सामाग्री एवं अन्य आवश्यक सामग्री आवश्यकतानुसार) की दरें आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता/फर्म दिनांक 09.05.2023 से दिनांक 15.05.2023 समय दोपहर 2.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी– अपनी दरें तथा वांछित संलग्न बन्द लिफाफे में ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा कर सकते हैं। निविदा दिनांक 15.05.2023 को दोपहर 02:00 बजे के बाद से ग्राम पंचायत के कार्यालय पर खोली जायेगी। निविदा से सम्बन्धित नियम व शर्तें ग्राम पंचायत के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

ग्राम प्रधान – राकेश भारद्वाज, ग्राम पंचायत– गोसड़ी, विकासखंड– मुहम्मदपुर, आजमगढ़

सचिव – जयप्रकाश यादव, ग्राम पंचायत – गोसड़ी, विकासखंड– मुहम्मदपुर, आजमगढ़

प्रपत्र जी
अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिये आमंत्रण
यूनिक बाजार लिमिटेड
जो एनसीआर एवं उ.प्र. के विभिन्न भागों में 16 स्थानों पर रिटेल सुपर मार्केट स्टोर्स में प्रचालन कर रही है, के लिये
भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36ए(1) के अंतर्गत

संबंधित विवरण

1.	पैन/सिन नं. के साथ कॉर्पोरेट डेब्टर का नाम	यूनिक बाजार लिमिटेड पैनः AABCU3690A, CIN: U52100DL2011PLC225177
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	ए–213, भूतल, शान्ति गोपाल चैम्बर, विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली पूर्वी दिल्ली, दिल्ली–110092
3.	वेबसाईट का यूआरएल	https://www.unikbazar.com/
4.	उस स्थान का विवरण जहां अधिसंख्य निर्धारित परिसम्पत्तियां अवस्थित है	16 स्टोर्सः एनसीआर एवं उ.प्र. में तथा कॉर्पोरेट कार्यालयः ए–17, सेक्टर–60, नोएडा
5.	मैन उत्पादों/सेवाओं की संस्थापित क्षमता	लागू नहीं
6.	पिछले वित्त वर्ष में बिक्री की गई मुख्य उत्पादों/सेवाओं की मात्रा एवं मूल्य	अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार प्रचालन से राजस्वः 31.03.2020: रु. 80.95 करोड़ 31.03.2021: रु. 32.94 करोड़
7.	कर्मचारियों/कर्मियों की संख्या	प्रति स्टोर लगभग 10 कर्मचारी
8.	पिछले दो वर्षों के उपलब्ध वित्तीय वित्तीय विवरणों (अनुसूची के साथ), क्रेडीटरों की सूची, प्रक्रिया के परवर्ती कार्यक्रमों के संबंधित तिथियों सहित विस्तृत विवरण उपलब्ध हैः	यह सूचना rp.unikbazar@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से प्रस्ताव कर्मी से मांगी जा सकती है।
9.	संहिता की धारा 25(2)(h) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता उपलब्ध हैः	यह सूचना rp.unikbazar@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से प्रस्ताव कर्मी से मांगी जा सकती है।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि	24 मई, 2023
11.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सूची जारी करने की तिथि	29 मई, 2023
12.	अस्थाई सूची के प्रति आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथि	3 जून, 2023
13.	ईओआई जमा करने के लिये प्रॉसेस ईमेल आईडी	rp.unikbazar@gmail.com

सीए अनीश अगरवाल
IBBI/IPA-001/IP-P-01497/2018-19/12256
डी, 1101, गॉर्देज यूनाइटेड; व्हाइटफिल्ड मैन रोड, फीनिक्स मार्केट सिटी के निकट, हूडी विलेज, होबली, महादेवपुरा, बेंगलुरू, कर्णाटक–560048
कृते, यूनिक बाजार लिमिटेड
09 मई, 2023, नई दिल्ली
ईमेलः ip.cispl@gmail.com

बड़ौदा यू.पी. बैंक Baroda U.P. Bank | **कब्जा सूचना** | क्षेत्रीय कार्यालय : अयोध्या, पोस्ट- साहेबगंज, जिला-अयोध्या- 224001 (यू.पी.)

कब्जा सूचना (नियम 8(2) के तहत अचल सम्पत्ति हेतु

जबकि अधोहस्ताक्षरी जोकि **बड़ौदा यू.पी. बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी है, द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे दिये गये विवरण के अनुसार ऋणियों को मांग नोटिस जारी किया गया था। जिसके अनुसार मांग नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में वर्णित धनराशि का भुगतान बैंक को करने की सूचना ऋणियों/जमानतकर्ता को दी गई थी। ऋणियों द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम (8) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप धारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा ऋणियों/उधारकर्ता और आम लोगों को यह नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीचे दी गई सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया गया है। ऋणियों/जमानतकर्ताओं/बंधककर्ताओं का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है। ऋणियों को विशेष रूप से व जनसाधारण को सामान्य रूप से एतदद्वारा विषयगत सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का संव्यवहार न करने के लिए सावधान किया जाता है और इस सम्बन्ध में किया गया कोई भी संव्यवहार **बड़ौदा यू.पी. बैंक** के अधोवर्णित प्रभारों व देय ब्याज/खर्चों के अधीन होगा।

क्र. सं.	खाता/उधारकर्ता का नाम (सम्पत्ति के मालिक)	प्रभारित/बंधक/दृष्टिबंधक की गई परिसम्पत्ति (परिसम्पत्ति से संबंधित सभी भाग व एवं हिस्सों सहित) विवरणी	(अ)मांग नोटिस की तिथि (ब)सांकेतिक कब्जा की तिथि (स)मांग नोटिस के दिन तक बकाया शेष
1.	शाखाः अकबरपुर मो. 7839884272 उधारकर्ता – श्री योगेश कुमार मिश्रा पुत्र लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा, जमानतकर्ताः (1) श्री ओम प्रकाश यादव पुत्र श्री राम प्याऊ यादव (2) श्री नीरज यादव पुत्र स्व. राम सकल यादव	संपत्तियों/भूमि का साम्यिक बंधक–प्लॉट नंबर 175M, क्षेत्रफल–197.96 वर्गमीटर पंजीकृत बिक्री विलेख संख्या 2247/1988, दिनांक 20.07.1988, के माध्यम से खरीदा गया, स्थित–फतेहपुर पकड़ी, परगना व तहसील–अकबरपुर, अम्बेडकर नगर, नामे–श्री नीरज यादव पुत्र स्व. राम सकल यादव, **विलेख के अनुसार चौहद्दी** : उत्तर–गली 15 फीट, दक्षिण–छोटेलाल का प्लॉट, पूर्व–रामरती देवी का मकान, पश्चिम–चक रोड।	(अ) 14.02.2023 (ब) 03.05.2023 (स) रू. 3,85,000.00 दिनांक 14.02.2023 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्चे
2.	शाखाः अकबरपुर मो. 7839884272 उधारकर्ता – आदित्य सिंह पुत्र दिनेश कुमार सिंह जमानतकर्ताः (1) श्री राकेश सिंह पुत्र श्री सत्यदेव सिंह (2) श्री हनुमान पुत्र स्व. श्री राम	संपत्तियों/भूमि का साम्यिक बंधक–आबादी भूमि व भवन क्षेत्रफल–384 वर्गफुट, पंजीकृत बिक्री विलेख संख्या 676/2005 दिनांक 15.02.2005 के माध्यम से खरीदा गया, स्थित–ग्राम कटेहरी बाजार, परगना व तहसील अकबरपुर, अम्बेडकरनगर, नामे श्री हनुमान पुत्र स्व. श्री राम। **विलेख के अनुसार चौहद्दीः** उत्तर–मुरारीलाल का मकान, दक्षिण–पक्की सड़क अकबरपुर, पूर्व–वंदी का मकान, पश्चिम–राजेश कुमार का मकान।	(अ) 07.04.2022 (ब) 03.05.2023 (स) रू. 1,09,681.00 दिनांक 07.04.2022 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्चे

दिनांक 08.05.2023 स्थान : अयोध्या प्राधिकृत अधिकारी–बड़ौदा यू.पी. बैंक

Servotech Power Systems Limited

CIN: L31200DL2004PLC129379
Registered Office: 806, 8th Floor, Crown Heights, Hotel Crown Plaza, Sector 10, Rohini, New Delhi-110085 | Tel No : 011-41183119
Email: investor.relations@servotechindia.com | Website: www.servotech.in

Extract of Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2023

(Rs. in lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter Ended 31.12.2022 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2022 (Audited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)	Year Ended 31.03.2022 (Audited)
1.	Total Revenue from Operations	11998.15	8635.7	5110.58	27864.33	14425.25
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extra-ordinary items)	772.7	519.19	181.6	1443.72	564
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after tax, exceptional and/or extra-ordinary items)	772.7	519.19	176.54	1443.72	558.94
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after tax, exceptional and/or extra-ordinary items)	605.47	387.42	130.67	1106.57	405.77
5.	Total Comprehensive Income/Loss for the period	607.29	387.42	131.42	1108.86	406.51
6.	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2/- each)	2126.54	2126.54	1880.79	2126.54	1866.54
7.	Earnings per share of Rs. 2/- each:					
	(a) Basic (₹)	0.57	0.36	0.14	1.04	0.43
	(b) Diluted (₹)	0.61	0.39	0.13	1.11	0.41

Note:
1. The Financial Results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standard (Ind-AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 (as amended) and SEBI circular dated 5th July, 2016.
2. The above Consolidated Financial Results have been reviewed by the Audit Committee at their meeting held on 6th May, 2023 and approved by the Board of Directors at their meeting held on 7th May, 2023. The Statutory Auditor have expressed an unmodified audit opinion on these results.
3. The above is an extract of the detailed format of Audited consolidated financial result for quarter and year ended 31st March, 2023 filed with NSE under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulation, 2015. The full format of Audited Financial Result (Standalone and Consolidated) for quarter and year ended 31st March, 2023 is available on the website of the Company www.servotech.in and NSE www.nseindia.com.
4. The Key Standalone financial information is as under:

(Rs. in lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter Ended 31.12.2022 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2022 (Audited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)	Year Ended 31.03.2022 (Audited)
1	Total Revenue from Operations	9642.36	8253.65	4500.57	24956	13426.42
2	Profit/(Loss) before tax	739.91	479.73	154.08	1375.84	506.3
3	Profit/(Loss) after tax	581.31	358.99	116.27	1057.17	366.36

For Servotech Power Systems Limited
Sd/-
Raman Bhatia
(Managing Director)
DIN : 00153827
Date: 07.05.2023
Place: New Delhi

SBI

आईटी संपर्क सेन्टर विशेष परियोजना, ग्लोबल आईटी सेन्टर, कपास भवन, दुसरी मंजिल, सेक्टर – 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई – 400614

शुद्धिपत्र–II

आरएफपी क्र.: SBI/GITC/IT-Contact Centre/2023/2024/975 दिनांक: 05.04.2023

कृपया आउटबाउंड कॉन्टैक्ट सेंटर टेक्नोलॉजी स्टैक की कार्यान्वयन, रखरखाव और सहायता के लिए, दिनांक 05.04.2023 की खरीद के लिए आरएफपी देखें. शुद्धिपत्र–II अपलोड की गई है और इसे बैंक की वेबसाइट https://www.sbi.co.in पर प्रोक्योरमेंट न्यूज़ के तहत देखा जा सकता है. बोलियां जमा कराने की अंतिम तिथि व समय : 18.05.2023 को दोपहर 03:30 बजे तक.

स्थान: नवी मुंबई
तिथि: 09.05.2023
उप– महाप्रबंधक
आईटी संपर्क सेन्टर विशेष परियोजना

डीसीबी बैंक लिमिटेड — DCB BANK
7/56, 'ए' सेट हाउस, देश बंधु गुप्ता रोड
करोल बाग, नई दिल्ली – 110005

परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें)
कब्जे की सूचना
(अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि,अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के तहत डीसीबी बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 21.04.2021 को एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें राजन गर्ग, वीना रानी गर्ग, भविष्य इंडस्ट्रीज और रीना गर्ग को नोटिस में उल्लिखित राशि रु.44,11,028.16/– (रुपये चौवालीस लाख ग्यारह हजार अट्ठाईस और सोलह पैसा मात्र) को उक्त नोटिस की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर उक्त राशि का पुनर्भुगतान करने को कहा गया।

कर्जदार/सह कर्जदार/ गारंटर उक्त राशि भुगतान करने में विफल रहे है,अतः कर्जदार / सह कर्जदार / गारंटर और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 5 अप्रैल 2023 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/सह कर्जदार/ गारंटर और आम जनता को एतद्द्वारा आगाह किया जाता है कि उक्त संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन–देन करने पर रु. 61,12,192.26/– और उस पर ब्याज की राशि डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभूति संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उप–धारा (8) के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

मकान नं. 1/86 गली नंबर 3, शास्त्री कॉलोनी सेक्टर 19 गुरुद्वारा, ओल्ड फरीदाबाद, हरियाणा–121002 में स्थित संपत्ति का वह सभी हिस्सा और अंश।

दिनांक: 09.05.2023
स्थानः फरीदाबाद
हस्ता/–अधिकृत अधिकारी
डीसीबी बैंक लिमिटेड

प्रपत्र सं. 3 [विनियम–15(1)(क)/16(3) देख]
ऋण वसूली अधिकरण चण्डीगढ़ (डीआरटी 2)
प्रथम तल, एससीओ 33–34–35, सेक्टर–17ए, चण्डीगढ़
(3सरे और 4थे तल पर भी अतिरिक्त फ्लोर आवंटित)

मुकदमा सं. : ओए/239/2020
ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (2ए) के साथ पठित धारा 19 की उपधारा (4) के तहत समन

एक्सएच. नं. 15402

इंडियन ओवरसीज बैंक
बनाम
मैसर्स श्री शुभम मोटर्स

सेवा में,
(1) मैसर्स शुभम मोटर्स
पुत्री/पत्नी/पुत्र–सुनील कुमार
एक एकल स्वामित्व की कंसर्न, प्लॉट नं. 945/3 लक्ष्मण विहार पंजीरी प्लांट के पास रेलवे रोड गुड़गांव, इसके प्रोपराइटर सुनील कुमार के माध्यम से, पैन नं. इक्वइडी7229ट
गुड़गांव, हरियाणा
साथ ही
मैसर्स शुभम मोटर्स, प्लॉट नं. एन–945/3 लक्ष्मण विहार पंजीरी प्लांट के पास रेलवे रोड गुड़गांव, गुड़गांव, हरियाणा
(2) सुनील कुमार
पुत्र उदय सिंह प्रोपराइटर मैसर्स शुभम मोटर्स निवासी प्लॉट नंबर एन–945/3, लक्ष्मण विहार पंजीरी प्लांट के पास रेलवे रोड गुड़गांव, हरियाणा

समन

जबकि ओ.ए./239/2020 माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 14.12.2022 को सूचीबद्ध था।
जबकि, यह माननीय अधिकरण रु. 6585037.83/– के ऋण की वसूली के लिए आपके विरुद्ध दर्ज अधिनियम (ओए) की धारा 19(4) के तहत कथित आवेदन पर समन/सूचना निर्गत करते हैं (दस्तावेजों की प्रतियों सहित आवेदन संलग्न है)।
अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के अनुसार प्रतिवादियों को निम्नलिखित निर्देश दिया जाता है :
(i) समन की सर्विस के तीस दिनों के भीतर कारण बताना कि जिस राहत के लिए प्रार्थना की गयी उसे स्वीकार क्यों न किया जाये;
(ii) मूल आवेदन की क्रम सं. 3ए के तहत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट सम्पत्तियों अथवा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों के विवरणों को प्रकटित करना;
(iii) आपको प्रतिभूत आस्तियों अथवा मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के तहत प्रकटित अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों के साथ संव्यवहार करने, सुनवाई लम्बित करने तथा सम्पत्तियों के अटैचमेंट हेतु आवेदन को निस्तारित करने से निषिद्ध किया जाता है;
(iv) आप उन किसी आस्तियों को सामान्य प्रकार्यों के विषय को छोड़कर जिस पर प्रतिभूति हित सृजित किया गया है तथा/अथवा मूल आवेदन की क्रम सं. 3ए के तहत निर्दिष्ट अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों को अधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्य विधि से हस्तान्तरित नहीं करेंगे;
(v) आप प्रतिभूत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सामान्य प्रकार्य में सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा वसूलीकृत बिक्री कार्यवाहियों हेतु उत्तरदायी होंगे और ऐसी बिक्रीत कार्यवाहियों को बैंक अथवा ऐसी आस्तियों पर प्रतिभूति हित धारक वित्तीय संस्थानों के खातों में अनुरक्षित करेंगे।

आपको 11.05.2023 को 10.30 बजे प्रातः रजिस्ट्रार के पास एक लिखित वक्तव्य जिसकी एक प्रति आवेदक को देनी है, दाखिल करने तथा उनके समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है जिसमें असफल होने पर आवेदन पर सुनवाई की जायेगी और आपकी अनुपस्थिति में फैसला दिया जायेगा।
मेरे हस्ताक्षर तथा इस अधिकरण की मुहर सहित तिथि 05.01.2023 को
समन जारी करने हेतु अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर

सार्वजनिक सूचना

(इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 की धारा 102 के तहत
अनिल कुमार अग्रवाल के लेनदारों के ध्यानार्थ के लिए
(पोलर फार्मा इंडिया लिमिटेड के लिए व्यक्तिगत गारंटर)

संबंधित विवरण

1.	व्यक्तिगत गारंटर का नाम	अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र एसएच. सज्जन कुमार अग्रवाल
2.	व्यक्तिगत जमानतदार का पता	ए–20, तीसरी मंजिल, फ्रेंड्स कॉलोनी (पूर्व) नई दिल्ली–110065
3.	व्यक्तिगत गारंटर की दिवाला प्रारंभ तिथि के संबंध में	02.05.2023
4.	आवेदन स्वीकार करने के आदेश का विवरण	आदेश दिनांक 02.05.2023 माननीय एनसीएलटी, कटक खंडपीठ द्वारा पारित कटक, सी.पी. (आईबी) संख्या– 28/सीबी/2022
5.	समाधान पेशेवर के रूप में कार्य कर रहे दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	अरविंद मित्तल आईपी रजि. नं.: BBI/IPA-001/IP-P01358/2018-2019/12081
6.	समाधान पेशेवर का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड के पास पंजीकृत है	1900, जेजे कॉलोनी, फेज–3, मदनपुर खादर सरिता विहार, नई दिल्ली – 110076 ईमेल: arvindmittal81@yahoo.in
7.	समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पता और ई–मेल	एफ–29, DLF सेंटर प्वाइंट, बाटा फ्लाईओवर के सामने, सेक्टर–11, फरीदाबाद, हरियाणा–121006 ईमेल: insolvency.anil.agarwal@gmail.com
8.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	30.05.2023
9.	प्रासंगिक प्रपत्र यहां उपलब्ध हैं:	वेबलिंक: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कटक बेंच ने अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सज्जन कुमार अग्रवाल (पोलर फार्मा इंडिया लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर) की दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का आदेश 2 मई, 2023 से दिया है।

अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सज्जन कुमार अग्रवाल को एतद्द्वारा **30.05.2023** को या उससे पहले प्रमाण के साथ अपने दावों को **प्रविष्टि संख्या 7** के सामने उल्लिखित पते पर समाधान पेशेवर को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों के प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करने होंगे। अन्य सभी लेनदार अपने दावे, प्रमाण के साथ, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के झूठे अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी।

अरविंद मित्तल
संकल्प पेशेवर
तिथि : 09.05.2023
स्थान : दिल्ली
आईपी रजि. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P01358/2018-2019/12081

प्रपत्र–जी

मैक्स हाइट्स टाउनशिप एंड प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
अपनी या पट्टे की संपत्तियों के साथ रियल एस्टेट गतिविधियों में शामिल के लिए रुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
(भारतीय दिवालियापन और ऋणशोधनाक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 36ए(1) के तहत

प्रासंगिक विवरण

1.	पैन/सीआईएन/एलएलपी नं. के साथ कॉर्पोरेट देनदार का नामः	मैक्स हाइट्स टाउनशिप एंड प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पैनः AAECM6990J ,सीआईएनः U70109DL2006PTC150424,
2.	पंजीकृत कार्यालय का पताः	यूनिट नं.–408, चौथी मंजिल, आरजी ट्रेड टावर नेताजी सुभाष प्लेस नई दिल्ली 110034 भारत
3.	वेबसाइट का यूआरएलः	http://maxheights.in/
4.	उस स्थान का विवरण जहां अधिकांश अचल संपत्तियां स्थित हैं:	'मैक्स हाइट्स मेट्रोव्यू अपार्टमेंट', सेक्टर–35, सोनीपत, हरियाणा– 131028
5.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं की स्थापित क्षमता :	लागू नहीं है क्योंकि यह एक रियल एस्टेट कंपनी है।
6.	पिछले वित्तीय वर्ष में बेचे गए मुख्य उत्पादों/सेवाओं की मात्रा और मूल्य :	31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए देनदार, कॉर्पोरेट देनदार का टर्नओवर रु. 13,82,59,208 था।
7.	कर्मचारियों/कामगारों की संख्या :	1 कर्मचारी
8.	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (अनुसूचियों के साथ), लेनदारों की सूची, प्रक्रिया की बाद की घटनाओं के लिए प्रासंगिक तिथियों सहित अधिक विवरण यहां उपलब्ध हैं:	सभी विवरण समाधान पेशेवर के कार्यालय संख्या 908, डी मॉल, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली–110034 में उपलब्ध हैं और एक गोपनीय शपथपत्र निष्पादित करने के बाद ip.maxheights@gmail.com पर मेल भेजकर मांगा जा सकता है।
9.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यहां उपलब्ध हैः	विवरण संकल्प पेशेवर के कार्यालय संख्या 908, डी मॉल, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा,दिल्ली–110034 में उपलब्ध है और ip.maxheights@gmail.com पर मेल भेजकर मांगा जा सकता है।
10.	रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथिः	24.05.2023
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथिः	01.06.2023
12.	अनंतिम सूची पर आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथिः	06.06.2023
13.	ईओआई जमा करने के लिए प्रक्रिया ईमेल आईडी :	ip.maxheights@gmail.com

दिनांकः 09.05.2023
स्थान : नई दिल्ली
हस्ता /–
वरुण गोयल
मैक्स हाइट्स टाउनशिप एंड प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड के लिए संकल्प पेशेवर
आईपी पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-P02165/2020-2021/13339
(असाइनमेंट के लिए प्राधिकृतिः 20/12/2023 तक वैध)
रजि. पताः 1750, एटेमिया टॉवर, महागुन मोडेरेन, सेक्टर 78, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
व्यावसायिक पताः 908, 9वीं मंजिल, डी मॉल, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली –110034

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

अभियुक्त व्यक्ति की हाजरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82Cr.PC देखिये

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **आरिफ** पुत्र अब्दुल रहमान, **निवासी** मकान नं. एच–591, गली नंबर 2, सुंदर नगरी, दिल्ली ने केस **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 195/2017 धारा 356/379/34 आईपीसी पुलिस थाना मधु विहार, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **आरिफ** मिल नहीं रहा हैं और मुझे समाधान प्रद रुप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **आरिफ** फरार हो गया हैं (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा हैं)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती हैं कि **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 195/2017 धारा 356/379/34 आईपीसी पुलिस थाना मधु विहार, दिल्ली** के अभियुक्त **आरिफ** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **26.08.2023** को या उससे पहले हाजिर हों।

आदेशानुस